

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 02/2019

उनवान

1 मदन मुत्त. हजारी खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज. _____ (प्राथी)

बनाम

1. बरदू पिता सुरजमल खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
2. मिश्री पिता रामा रेगर उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
3. रामकुवार पिता माधु खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
4. लक्ष्मण पिता मैरू खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
5. लक्ष्मण पिता कल्याण खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
6. रामा पिता छीतर खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
7. रामकरण पिता लादु खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
8. रामलाल पिता लादु खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
9. पप्पु पिता रामचन्द्र खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
10. खाना पिता हाथी खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
11. मेवा पिता बन्ना खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
12. किशन गोपाल पिता बन्ना खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
13. रमेशचन्द्र पिता मोहन खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
14. हीरा पिता छोटू खारोल उम्र वयस्क निवासी बालापुरा तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा राज.
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

श्री राजेश वर्मा.....प्राथी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक – 04.12.2019

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 02.01.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नं.0 बासेडा तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 119 के आ.नं.0 630, 631, 638, 813, 814, 815, 817, 818, 1211, 1234 किता 10 कुल रकबा 04-72 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्राथी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्राथी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्राथी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्राथी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नं.0 बासेडा तहसील फुलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 119 के आ.नं.0 630, 631, 638, 813, 814, 815, 817, 818, 1211, 1234 किता 10 कुल रकबा 04-72 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बासेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)

उपखण्ड अधिकारी,

फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा